

**अनुदान संख्या 70 - अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय**  
**GRANT No. 70 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	4861,50,00	678,67,59	-4182,82,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			4182,82,39
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	159,00,00	159,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)				
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”			
सचिवालय—सामाजिक सेवाएं	Secretariat-Social Services			
मू.	O.	3061.00		
		2501.91	2501.91	..
पु.	R.	-559.09		
मुख्य शीर्ष “2225”	Major Head “2225”			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	247528.00		
		37396.14	37396.14	..
पु.	R.	-210131.86		

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	44693.00	17471.42	17471.40	-0.02
पु.	R.	-27221.58			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्व क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	50220.00	..	..	..
पु.	R.	-50220.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	140463.00	10498.14	10498.14	..
पु.	R.	-129964.86			

(I) ₹65441.00 लाख का प्रावधान बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनके तहत ₹63565.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(I) Provision of ₹65441.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty heads; of these ₹63565.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(A) Major Head "2552" -

(क) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य व्यय" -

(a) "General-(Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure" -

- |   |   |
|---|---|
| (i) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता – सह-साधन छात्रवृत्ति” – ₹3000.00 लाख; | (i) “Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities” - ₹3000.00 lakhs; |
| (ii) “अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹12000.00 लाख;  | (ii) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - ₹12000.00 lakhs;   |
| (iii) “अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹5000.00 लाख;   | (iii) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - ₹5000.00 lakhs;  |
| (iv) “अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” – ₹800.00 लाख; और                            | (iv) “National Fellowship for Students from Minority Communities” - ₹800.00 lakhs; and                    |
| (v) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – ₹25430.00 लाख।   | (v) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - ₹25430.00 lakhs.                                      |

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above five heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- |   |   |
|---|---|
| (vi) “कौशल विकास पहल” – ₹1500.00 लाख – योजना बंद होने के कारण।        | (vi) “Skill Development Initiatives” - ₹1500.00 lakhs - due to discontinuation of scheme. |
| (vii) “मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना” – ₹1500.00 लाख; और | (vii) “Education Scheme for Madarsas and Minorities” - ₹1500.00 lakhs; and                |

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना” – ₹14335.00 लाख;

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share-Education Scheme for Madarsas and Minorities” - ₹14335.00 lakhs.

उपरोक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना को जारी रखने के लिए समीक्षाधीन होने के कारण थे।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to scheme being under review for continuation.

(II) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय” के अंतर्गत – ₹559.09 लाख की बचत (₹3061.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों

(II) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Ministry of Minority Affairs” - saving of ₹559.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3061.00

को न भरने, कम कंप्यूटर और बाह्य उपकरणों की खरीद, कम प्रस्तावों की प्राप्ति, कम बैठकें/सेमिनार आयोजित करने, कम विदेशी दौरे किए जाने और कम विज्ञापन और प्रकाशन के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “आर्थिक विकास – प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – ₹2893.46 लाख की बचत (₹14702.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विधायिका/अन्य संगठनों के बिना केंद्र शासित प्रदेशों से कम/गैर-प्रस्ताव प्राप्त न होने, कम पेशेवरों को काम पर रखने और ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने के कारण हुई।

(खा) “शिक्षा” –

(क) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता सह – साधन – छात्रवृत्ति” – ₹29623.67 लाख की बचत (₹33100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) “अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹125495.36 लाख की बचत (₹129890.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) “अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति” – ₹43216.92 लाख की बचत (₹46090.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचत आवेदन के पुनः वैधीकरण में देरी के कारण हुई।

(घ) “यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता” – योजना के बंद

lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, procurement of less computer and peripherals, receipt of less proposals, conduction of less meetings/seminars, less foreign tours undertaken and less advertisement and publications.

(III) Under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Economic Development - Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹2893.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14702.00 lakhs) was due to less/non-receipt of proposals from union territories without legislature/ other organizations, hiring of less professionals and conduction of online trainings.

(B) “Education” -

(a) “Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities” - saving of ₹29623.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33100.00 lakhs);

(b) “Pre-Matric Scholarship for Minorities” - saving of ₹125495.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹129890.00 lakhs); and

(c) “Post-Matric Scholarship for Minorities” - saving of ₹43216.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹46090.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to delay in re-validation of application by the States.

(d) “Support for Students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commissions etc.” - saving of

होने और प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण ₹534.00 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

₹534.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to discontinuation of scheme and requirement of less funds towards committed liabilities.

(ड) “मुफ्त कोचिंग और संबद्ध योजना” – ₹4900.11 लाख की बचत (₹7400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(e) “Free Coaching and Allied Scheme” - saving of ₹4900.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7400.00 lakhs);

(च) “नई मंजिल” – ₹3687.52 लाख की बचत (₹4450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(f) “Nai Manzil” - saving of ₹3687.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4450.00 lakhs); and

(IV) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(IV) Under Major Head “2235” - “Social Welfare-Other Programmes” - savings occurred under the following heads:-

(का) “कौशल विकास पहल” – ₹15512.62 लाख की बचत (₹22041.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(A) “Skill Development Initiatives” - saving of ₹15512.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22041.00 lakhs).

उपरोक्त तीन शीर्षों के तहत बचत वर्ष के दौरान योजना के बंद होने के कारण हुई थी।

Savings under the above three heads were due to discontinuation of the scheme during the year.

(खा) “छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए योजना” – ₹730.47 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना की समीक्षा के कारण हुई।

(B) “Scheme for containing population decline of small minority communities” - saving of ₹730.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to scheme being under review.

(गा) “अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान” – कम विज्ञापन और प्रचार और योजना की देर से मंजूरी के कारण ₹2786.72 लाख की बचत (₹3200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Media Campaign for Minorities” - saving of ₹2786.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3200.00 lakhs) was due to less advertisement and publicity and late approval of the scheme.

(घा) “अनुसंधान/अध्ययन, योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन” – योजना की देर से मंजूरी के कारण ₹830.77 लाख की बचत (₹900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) “Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes” - saving of ₹830.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹900.00 lakhs) was due to late approval of the scheme.

(डा) “विकास के लिए पारंपरिक कला/शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन (यूएसटीटीएडी)” – कम हुनर हाटों के आयोजन के कारण ₹3439.46 लाख की बचत (₹4500.00

(E) “Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)” - saving of ₹3439.46 lakhs (against the sanctioned provision of

लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(चा) “हज पर व्यय” – अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों के लिए हज पर प्रतिबंध और कम बैठकों/सेमिनारों के संचालन के कारण ₹818.64 लाख (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(छा) “भारत का महावाणिज्य दूतावास की स्थापना, जेद्दाह” – ₹1967.13 लाख की बचत (₹7942.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तीर्थ यात्रियों के प्रतिबंधित हज कोटा के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा” – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई :-

(का) “शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम” – ₹1349.56 लाख की बचत (₹1390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(खा) “प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)” – कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण ₹114280.30 लाख (₹124738.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

(VI) एक शीर्ष में ₹467.82 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 48 प्रतिशत है।

2. उपरोक्त बचत आंशिक रूप से मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण – शिक्षा – अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति” के तहत अधिक व्यय से प्रतिसंतुलित की गई थी – ₹785.00 लाख का अधिक व्यय (₹9100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों के लिए धन के पुनर्विनियोजन के कारण था।

₹4500.00 lakhs ) was due to organizing of less Hunar Haats.

(F) “Expenditure on Haj” - saving of ₹818.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to restriction of Haj for International pilgrims and conduction of less meetings/seminars.

(G) “Establishment of Consulate General of India, Jeddah” - saving of ₹1967.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7942.00 lakhs) was due to restricted Haj quota of pilgrims.

(V) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Education Empowerment, Skill Development and Livelihoods and Special Programmes of Minorities” - saving of ₹1349.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1390.00 lakhs) was due to receipt of less claims from States.

(B) “Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakaram (PMJVK)” - saving of ₹114280.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹124738.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(VI) Under one head saving of ₹467.82 lakhs occurred constituting 48 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were offset by excess under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities - Education - Maulana Azad National Fellowship for Minority Students” - excess of ₹785.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9100.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.